Edition: Lucknow | Date: 31st July, 2019 | Pg.: 02

थ्री-पी मॉडल पर चलेंगे राजकीय स्कूल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूबे के राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (थ्री-पी) मॉडल पर चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत नए खुल रहे अभिनव स्कूल व मॉडल स्कूलों से होगी और इसके सफल होने पर थ्री-पी मॉडल से स्कूलों के संचालन का दायरा बढ़ेगा। थ्री-पी मॉडल को लागू करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) या सलाहकार भी तैनात किया जाएगा। इस मॉडल के तहत स्कुल का निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और स्कुल के संचालन की जिम्मेदारी प्राइवेट संस्था को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल की जा रही है। अब सभी जिलों के एक राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम का भी सेक्शन होगा। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को इसमें दाखिला दिया जाएगा। वहीं ऐसे संस्कृत माध्यमिक स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, वह दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे।

इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की वेतन विसंगति और मैनपुरी, झांसी व अमेठी में सैनिक स्कूलों के भवन का निर्माण, राजकीय स्कूलों व सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्नीचर और बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पारदर्शिता के साथ हो इस पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय की ओर से विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन सभी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करवाएं। 15 अगस्त तक इसकी प्रगति रिपोर्ट भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को उपलब्ध करवाएं।

स्कलों में गठित होंगी परिवहन

आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे विशेष शिक्षक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: स्कूल हर दिन आयें (शारदा) अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सात से 14 आयु वर्ग के चिह्नित किए गए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए नौ महीने का विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अलग से विशेष शिक्षक रखे जाएंगे। यह सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल में ही अलग से कक्षाएं लगाकर इन विद्यार्थियों को पढाएंगे। विशेष शिक्षक अगर 10 या उससे अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 4,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा और अगर पांच से 10 बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं तो 2,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इससे कम बच्चे होने पर स्कुल के शिक्षक या शिक्षामित्र ही इन्हें पढ़ाएंगे। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 17.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार आउट

सुरक्षा सिमितियां : स्कूली वाहनों की निगरानी के लिए अब सभी स्कूलों में परिवहन सुरक्षा सिमित बनेगी। निजी स्कूलों को अपनी और अनुबंध कर चलाई जा रहीं वैन व बस की सूची मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को भी सौंपनी होगी। वे इनकी फिटनेस की रिपोर्ट लेंगी ताकि विद्यार्थी सुरक्षित ढंग से स्कूल आ सकें।

अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) लिलता प्रदीप ने बताया कि सभी स्कूल

नर्ड व्यवस्था

- 16 तक हर हाल में विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करने के निर्देश
- शारदा कार्यक्रम के तहत चिह्नित बच्चों को अलग से पढ़ाया जाएगा

ऑफ स्कूल बच्चों को निश्शुल्क किताबें व अन्य जरूरी पाठ्य सामग्री दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को दो दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगर सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो शिक्षक और शिक्षामित्र ही पढ़ाएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति की सहमित पर प्रधानाध्यापक उन्हें पढ़ाने के लिए चयनित कर सकेंगे। फिलहाल नौ महीने के विशेष प्रशिक्षण की मानीटरिंग बेसिक शिक्षा अधिकारी करवाएंगे। नौ महीने की पढ़ाई के बाद विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर के अनुसार उपयुक्त कक्षा में उसे दिखला दिया जाएगा।

अभिभावकों, शिक्षा व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करें और जागरूकता अभियान चलाएं। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। समाज के जागरूक लोगों को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए। वहीं रेडियो व अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। 30 अगस्त तक सभी स्कूलों में यह जागरूकता अभियान चलाया जाए और अभिभावकों को भी हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।